न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 29/10 अन्तर्गत धारा 76 एल0 आर0 एक्ट

उनवान :– 1. ईश्वरसिंह पुत्र कोडासिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम मूसाखेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल ग्राम गोपालगढ सेढूका मढ डॉक्टर राज गोयल के सामने,भरतपुर(फौत)

1/1. नानकीबाई पत्नि स्व0 ईश्वरसिंह

1/2. करतारसिंह पुत्र स्व0 ईश्वरसिंह

1/3. बलवंतसिंह पुत्र स्व0 ईश्वरसिंह

1/4. राजवीरसिंह पुत्र स्व0 ईश्वरसिंह

1/5. मोहनसिंह पुत्र स्व0 ईश्वरसिंह जाति लगाना सिक्ख निवासी ग्राम मूसाखेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल निवासी ग्राम गोपालगढ सेढूका मढ डॉक्टर राज गोयल के सामने, भरतपुर

1/6. तोसीबाई पुत्री स्व0 ईश्वरसिंह पत्नि तीर्थसिंह

1/7. कौशल्या पुत्री स्व0 ईश्वरसिंह पत्नि सुरजीतसिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी हाल उल्हास नगर, मुम्बई महाराष्ट्र

1/8. राजकुमारी पुत्री स्व0 ईश्वरसिंह पत्नि राजवीरसिंह

1/9. पिंकी पुत्री स्व0 ईश्वरसिंह पत्नि दीवानसिंह जाति लबाना सिक्ख हाल निवासी रंगवीर नगर, नई दिल्ली

:------- अपीलांटस

8/10/12

बनाम

1 मु0 मनसीबाई बेवा प्यारासिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम मूसाखेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल गोपालगढ सेढूका मढ डॉक्टर राज गोयल के सामने, भरतपुर

2 कालूसिंह पुत्र प्यारासिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम मूसाखेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल ग्राम गोपालगढ सेढूका मढ डॉक्टर राज गोयल के सामने, भरतपुर राजस्थान (मृतक)

2/1. प्रकाश कौर पत्नि स्व0 कालूसिंह

2/2. रवि पुत्र स्व0 कालूसिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी हाल ग्राम गोपालगढ सेढूका मढ डॉक्टर राज गोयल के सामने,भरतपुर

2/3. पूजा कौर पुत्री स्व0 कालूसिंह पत्नि हरबंशसिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी हाल सरदार कॉलोनी जय ब्लॉक सैक्टर 16, रोहिणी, नई दिल्ली ।

3. सुनीता कौर बेवा ज्ञानसिंह पुत्र प्यारासिंह हाल पत्नि जीतसिंह उर्फ जीतू पुत्र प्यारासिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम मूसाखेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल गोपालगढ सेढूका मढ डॉक्टर राज गोयल के सामने,भरतपुर राजस्थान

4. जीतूसिंह उर्फ जीतू पुत्र प्यारासिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम मूसाखेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर हाल गोपाल-गढ सेढूका मढ डॉक्टर राज गोयल के सामने, भरतपुर

5. मु0 माया कौर पुत्री प्यारासिंह पत्नि शेरसिंह उर्फ शिरूसिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी मोरी चार बाग, भरतपुर राज0 (मृतक)

31/10

5/1. शेरसिंह उर्फ शिरूसिंह पुत्र मक्खनसिंह

5/2. सन्नीसिंह पुत्र शेरसिंह उर्फ शिरूसिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी मेरी चार बाग, भरतपुर राज0

5/3. मीनू कौर पुत्री शेरसिंह उर्फ शिरूसिंह पत्नि पिन्टूसिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी हाल कूड़ी कॉलोनी, जोधपुर राज0

6. मु0 रानीकौर पुत्री प्यारासिंह पत्नि दिलीपसिंह जाति लबाना सिक्ख हाल निवासी क्वार्टर नम्बर 920, मुखर्जी नगर, भरतपुर

7. मु0 देवी कौर पुत्री प्यारासिंह पत्नि बलवन्तसिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी हाल पंजाब सैन्टर सीसा वाला गुरूद्वारा, मेरठ उत्तर प्रदेश

8. मु0 पूनमकौर पुत्री प्यारासिंह पौत्री भूरासिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी हाल ए 3 ए 18, तिलक नगर, नई दिल्ली

9. मु0 वीझरबाई बेवा भूरासिंह (मृतक)

10. चरणसिंह पुत्र भूरासिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम मूसाखेडा तह0 किशनगढबास हाल गोपालगढ सेढूका मढ, डॉक्टर राज गोयल के सामने, भरतपुर राजस्थान

11. कीडूसिंह पुत्र हरनामसिंह पौत्र भूरासिंह जाति लबाना सिक्ख वासी ग्राम मूसाखेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 हाल निवासी गोपालगढ सेढूका मढ डॉक्टर राज गोयल के सामने, भरतपुर राज0 (मृतक)

12. मु0 फेमेली कौर नाबालिग पुत्री हरनामसिंह पौत्री भूरासिंह

5/1/10

नाबालिग सरपरस्त वीझरबाई जाति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम मूसाखेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 हाल वासी गोपालगढ सेढूका मढ डॉक्टर राज गोयल के सामने, भरतपुर राजस्थान

13. मु0 शीलाबाई पत्नि स्व0 रणजीतसिंह

14. दीपू पुत्र रणजीतसिंह नाबालिग सरपरस्त मु0 शीलाबाई माता खुद

15. शानू पुत्र रणजीतसिंह नाबालिग सरपरस्त मु0 शीलाबाई माता खुद जति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम बीबीरानी तह. किशनगढबास जिला अलवर राज0

16. रेशमा कौर पुत्री रणजीतसिंह पत्नि वकीलसिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी मोरी चार बाग,खारे कुए केक पास, भरतपुर

17. मंगलसिंह पुत्र भूरासिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम मूसा-खेडा तह0 किशनगढबास जिला अलवर हाल गोपालगढ सेढूका मढ डॉक्टर राज गोयल के सामने, भरतपुर राज0 (मृतक)

17/1. सुनीता कौर पत्नि स्व0 मंगलसिंह

17/2. हरदीपसिंह नाबालिग पुत्र स्व0 मंगलसिंह

17/3. रजनी कौर नाबालिग पुत्री स्व0 मंगलसिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम मूसाखेडा तह0 किशनगढबास जिला अलवर हाल गोपालगढ सेढूका मढ डॉक्टर राज गोयल के सामने,भरतपुर

18. प्रीतम सिंह पुत्र भूरासिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम मूसाखेडा तह0 किशनगढबास जिला अलवर हाल निवासी ग्राम

3/10

गोपालगढ सेढूका मढ डॉक्टर राज गोयल के सामने, भरतपुर

19. मु0 शक्कीबाई पुत्री भूरासिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी ग्राम मडापुर तह0 रामगढ जिला अलवर राजस्थान

20. मु0 काली कौर पुत्री भूरासियंह पत्नि लक्ष्मणसिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी मजनू का टीला, नई दिल्ली ।

21. मु0 पप्पीबाई पुत्री भूरासिंह पत्नि हाकमसिंह जाति लबाना सिक्ख निवासी बीनाराण गेट गुरूद्वारा के पास, भरतपुर राजस्थान

:----- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय अति0 जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर दिनांक 13.8.2010

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांटस :- श्री सतीश चन्द जैन

2. वकील रेस्पो0 :- बावजूद सूचना उपस्थित

निर्णय

दिनांक 31.10.19

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर द्वारा अपील संख्या 14/33/2008 अन्तर्गत धारा 75 एल0 आर0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 13.8.2010 के खिलाफ है, जिसके द्वारा अपीलांट की उक्त प्रथम अपील मियाद बिन्दू पर खारिज की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अदालत जिला कलेक्टर, अलवर के यहां प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0 आर0 एक्ट तहसीलदार किशनगढबास के निर्णय दिनांक 16.11.69, जिसके द्वारा सनद नम्बर 715 (69) वाके ग्राम मूसाखेडा कुल किता 14 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा का सनद पटटा प्यारासिंह के नाम जारी किया गया था, से नाखुश

31/10

होकर प्रस्तुत की, जो बाद में होकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर के यहां ट्रांसफर की गई थी । उक्त अपील में अपीलांट ने निवेदन किया था कि अपीलांट, प्यारासिंह व भूरासिंह सगे भाई थे । प्यारासिंह सबसे बडा था । हम पाकिस्तान से भारत में सन 1947 में दंगा फसाद होने के कारण भारत आ गये । सरकार द्वारा हमको आराजी कुल किता 14 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा आवंटित की गई थी । आवंटन के समय हम 2 भाई नाबालिग थे और प्यारासिंह सबसे बडा और बालिग था । प्यारासिंह ने बाला बाला विवादित आराजीयात का सनद पटटा हमको बिना बताये अपने नाम जारी करवा लिया । तहसीलदार ने भी आलोच्य निर्णय एवं सनद पटटा जारी करने से पूर्व हमको नहीं सुना । इसलिये उक्त निर्णय व सनद पटटा की जानकारी अपीलांट को समय पर नहीं हो सकी । जानकारी होने पर अपील प्रस्तुत कर दी । देरी को कंडोन कराने हेतु अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0 पत्र संलग्न है । अतः निवेदन है कि अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार की जावे । विद्वान तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर ने अपीलांट की उक्त प्रथम अपील मियाद बिन्दू पर खारिज की है, जिसके खिलाफ यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि तहसीलदार, किशनगढबास ने विवादित भूमि का पटटा संख्या 715 दिनांक 7.5.69 व निर्णय दिनांक 16.1.69 अपीलांटस को सुने बिना जारी किया गया था । इसलिये इसकी जानकारी अपीलांट को समय पर नहीं हो सकी । जानकारी होने पर हमने अपील प्रस्तुत कर दी । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी अनेकों नजीरों में प्रतिपादित किया है कि मियाद की गणना जानकारी की तिथि से की जानी चाहिये । 1998 आर0 आर0 डी0 पेज 319 में अभिनिर्धारित किया गया है कि दफा 5 के साथ अपील का निस्तारण मेरिटस पर किया जावे । आर0 एल0 डब्ल्यू0 2013 (1) पेज 268 में अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रकरण का निस्तारण मेरिटस पर किया जाना चाहिये, ना कि दफा 5 मियाद कानून पर । 2003 आर0 आर0 डी0 पेज 417 में 14 साल की देरी को भी माफ किया गया है । आर0 आर0 डी0 2002 पेज 63 में भी दफा 5 और गुणावगुण को एक साथ निर्णित करने का मत प्रतिपादित किया है । हमने देरी को कंडोन कराने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था ।

31/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर को दफा 5 का प्रा0 पत्र स्वीकार कर प्रकरण का निस्तारण मेरिटस पर करना चाहिये था ।

4 विद्वान वकील अपीलांटस ने गुणावगुण पर तर्क दिये कि हम तीन भाई थे । प्यारासिंह सबसे बडा था । बंटवारे के समय हम पाकिस्तान से भारत आ गये । भारत सरकार द्वारा हमको भूमि अलोट की गई थी । उस समय हमारा सबसे बडा भाई प्यारासिंह 23 साल का था और शेष 2 भाई भूरासिंह व ईश्वरसिंह नाबालिग थे, जिनकी आयु क्रमशः 15 साल व 12 साल थी । हमने की ताईद में तहत अदालत में रजिस्ट्रेशन कार्ड संख्या 5618 प्रस्तुत किया था, जिसमें उपरोक्तानुसार आयु दर्ज है । प्यारासिंह ने बालिग होने के फायदा उठाकर विवादित आराजीयात का सनद पटटा अकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया । जबकि उक्त आराजी परिवार के भरण पोषण के लिये सभी सदस्यों को आवंटित हुई थी, परन्तु प्यारा ने अकेले सनद पटटा प्राप्त कर खातेदारी प्राप्त कर ली । भूमि पर तीनों भाईयों का बराबर बराबर 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से पर कब्जा है । पटवारी की रिपोर्ट में भी प्यारासिंह का केवल 1/3 हिस्से पर कब्जा बताया गया है । उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विद्वान तहत अदालत ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर अपील मियाद बिन्दू पर खारिज कर दी । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

5 रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया । तहसीलदार, किशनगढबास ने विवादित आराजीयात का पटटा प्यारासिंह को देने का निर्णय दिनांक 16.1.69 को पारित किया गया था, जिसकी पालना सनद संख्या 715 दिनांक 7.5.69 प्यारासिंह के नाम जारी किया गया था । वर्ष 1969 में ये कार्यवाहियां होने के बाद अपीलांट ने दिनांक 1.2.2007 को तहत अदालत में प्रथम अपील प्रस्तुत की, जो स्पष्टतया 38 साल की देरी से प्रस्तुत की गई है । इस देरी के सम्बन्ध में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि वक्त आवंटन एवं जारी किये जाने सनद प्यारासिंह नाबालिग थे और अपीलांटस नाबालिग थे, प्यारासिंह हमको मूसाखेडा से भरतपुर ले गये और आज भी भरतपुर ही रहते हैं, इसलिये हमको जानकारी नहीं हो सकी । अपीलांट का यह कथन युक्तियुक्त कारण की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि वक्त आवंटन उसने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपनी आयु 12 साल एवं अपने एक भाई की आयु 15 साल बताई है । अगर वक्त आवंटन अपीलांट नाबालिग था तो उसके 6–7 साल बाद वह बालिग हो गया था । बालिग होने पर वह कानूनी कार्यवाही कर सकता था । 38 साल की देरी से अपील प्रस्तुत कर देरी को क्षमा कराने का फायदा वह नहीं ले सकता । देरी के सम्बन्ध में एक एक दिन का विवरण देना होता है । जिस घटना के माध्यम से जानकारी हुई, उसका भी विवरण अपीलांट ने नहीं दिया है । देरी को तभी क्षम्य किया जा सकता है कि जब देरी का युक्तियुक्त कारण बताया हो । विद्वान वकील अपीलांट द्वारा जो नजीरों प्रस्तुत की गई है, वे इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है, क्योंकि उन नजीरों में युक्तियुक्त कारण बताया गया था, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने देरी का युक्तियुक्त कारण नही बताया है । अपीलांट युक्तियुक्त कारण बताने में कतई असफल रहा है । ऐसी स्थिति में वह वह देरी को कंडोन कराने का अधिकारी नहीं है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.8.2010 यथावत रखा जाता है ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

31/10/19

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर